अनुबंध I-ए

जमा खातों में दावे के निपटान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए आवेदन पत्र (नामांकन या उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त खाते वाले मामले)

शाखा प्रबंधक दिनांक:

_______________ बैंक

_______________ शाखा

महोदया/ महोदय,

श्री/श्रीमती/कुमारी _______________(*दिवंगत /लापता ग्राहक का नाम) के *जमा खातों में शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री की निर्मुक्ति/ द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए *नामिती/उत्तरजीवी के रूप में दावा

मैं/हम ____________________ (नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)) एतद्द्वारा घोषणा करता/करती /करते हूँ/ हैं कि मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________ (दिवंगत/लापता ग्राहक का नाम), जिनकी मृत्यु __________ को हो गई/_______________ से लापता/ जिनका पता नहीं चल रहा है, द्वारा रखे गए *जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं में *नामिती/ उत्तरजीवी/ नाबालिग नामिती/ उत्तरजीवी के संरक्षक के रूप में नियुक्त हैं।

2. मैं/हम दिवंगत ग्राहक के बारे में आवश्यक जानकारी नीचे प्रस्तुत करते हैं:

(ए) मृत्यु का दिनांक और स्थान ____

(बी) मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या _______ दिनांक ________ प्राधिकारी ________ (प्रति संलग्न) का विवरण। (सत्यापन के लिए मूल प्रस्तुत किया जाना है)

(सी) आयु (मृत्यु का दिनांक पर) : ______ वर्ष

(डी) वैवाहिक स्थिति (मृत्यु का दिनांक पर) : विवाहित / अविवाहित / विधवा(विधुर)

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

(ई) पता: ____

शहर/ जिला: ___________ पिन: ________ राज्य: ________ देश: ________

3. मैं/हम, इसलिए, नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)/ नाबालिग नामिती/ उत्तरजीवी की ओर से संरक्षक के रूप में जमा खातों में उपार्जित ब्याज सहित शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री देना/दिवंगत ग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करते हैं:

ए. जमा खाते

क्र. सं.	**जमाराशि की प्रकृति** (**एसबी/सीए/टीडी**, **आदि**.)	**खाता संख्या**	**राशि**	**परिपक्वता का दिनांक** (**टीडी के मामले में**)
1.				
2.				
3.				
4.				
	कुल			

बी. सुरक्षित जमा लॉकर संख्या _______________ धारिता का तरीका: ______________

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): ______________

सी. **सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री रसीद संख्या** __________

सामग्री का विवरण (यदि ज्ञात हो): ______________

4. नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण:

4.1 मैं/हम बैंक से अनुरोध करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि दिवंगत के जमा खातों में देय शेष राशि (आवश्यक समायोजन, सेट-ऑफ, यदि कोई हो, करने के बाद) नीचे दिए गए खाते(खातों) में अंतरित कर दी जाए:

क्र. सं.	**नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण**		**मोबाइल नंबर**	**ईमेल पता**	**बैंक का नाम**, **खाता प्रकार और संख्या**, **और आईएफएससी विवरण**
	नाम	**पता**			
1					

2					
3					
4					

4.2 मैं/हम बैंक से अनुरोध करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि *सुरक्षित जमा लॉकरों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई सामग्री को निम्नलिखित व्यक्तियों को वापस कर दिया जाए:

क्र. सं.	**नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का विवरण**		**मोबाइल नंबर**	**ईमेल पता**
	नाम	**पता**		
1				
2				
3				
4				

4.3 नाबालिग नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) के लिए, ऐसे नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) और उसके प्राकृतिक/ विधिक संरक्षक का नाम नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**नाबालिग नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का नाम**	**जन्म दिनांक**	**संरक्षक का नाम**	**नाबालिग के साथ संबंध**	**संरक्षक का पता**	**संरक्षक का मोबाइल नंबर और ईमेल पता**
1						
2						

5. मैं/हम वचन देता/ देती/ देते हूँ/ हैं कि

(i) मैं/हम उपर्युक्त राशि/ सामग्री को वास्तविक लाभार्थी(यों) के न्यासी के रूप में प्रत्ययी क्षमता में धारण/प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे तथा मेरे/हमारे साथ किया गया कोई भी निपटाराउनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

(ii) उपर्युक्त *खाते/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएं किसी विवाद का विषय नहीं हैं तथा मुझे/हमें दावा करने से या बैंक को मेरे/हमारे पक्ष में या अन्यथा दावे का निपटान करने से रोकने वाला कोई न्यायालय आदेश नहीं है।

(iii) मैं/हम बैंक को ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं और तदनुसार, दिवंगत द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि या बैंक को देय किसी अन्य देय राशि को, दिवंगत द्वारा उपर्युक्त खाते(खातों) में रखी गई शेष राशि से काटने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं।

6. मैंने/हमने अपने/ हमारे दावे के निपटान के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं:

☐ *मृत्यु प्रमाण पत्र (दिवंगत ग्राहक का)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी लापता रिपोर्ट (लापता व्यक्ति के मामले में)

☐ दावा करने वाले नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) की पहचान और पते के समर्थन में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।[1]

7. ऊपर उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

8. * नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों) का/के नाम और हस्ताक्षर, जो देय शेष राशि/ सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्री प्राप्त करेंगे :

क्र. सं.	**नामिती(यों)/ उत्तरजीवी(यों)/ नाबालिग नामिती के संरक्षक का नाम**	**हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान** [2]
1		
2		
3		
4		

साक्षी का नाम और पता (दावेदार(रों) द्वारा अंगूठे का निशान लगाने की स्थिति में):

साक्षी के हस्ताक्षर:

*(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

कार्यालय उपयोग के लिए

(बैंक द्वारा अपनी आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जा सकता है)

[1] "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।

[2] यदि दावेदार हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो वह बैंक के किसी ज्ञात गवाह की उपस्थिति में अंगूठे का निशान लगा सकता/ सकती है।